

राजस्थान सरकार
कार्यालय शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त, ईजीएस

क्रमांक: ८५(२३) RD/R& N/R&S/08

जयपुर, दिनांक: २५। ५। ०९

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
समस्त, राजस्थान

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में पड़ रही तेज गर्भी को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि मेट अपने कार्य को प्रभावी रूप से इस प्रकार सम्पादित करे, कि प्रातः 6.00 बजे से कार्य प्रारम्भ कर गर्भी तेज होने से पूर्व अर्थात् लगभग 1.00 बजे तक श्रमिक अपनी टॉस्क पूर्ण कर घर जा सके। इसके उपरान्त भी यदि कुछ श्रमिक टॉस्क पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो उन्हें 3.00 बजे तक ऐसा करने की छूट होगी।

भवदीय,
(८५(२३)५)०९
(राजेन्द्र भाणावत)
शासन सचिव, ग्रा. वि.
एवं
आयुक्त, ईजीएस